राजस्थान – सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 76/24 प्रा०पत्र

1- श्री गोपाललाल s/o श्री उदा बलाई निवासी बलाईखेड़ा त० माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1- श्री मांगू s/o सूरा बलाई निवासी- बलाईखेड़ा तहसील- माण्डल
2 श्रीमती प्रेमदेवी w/o उदा बलाई निवासी बलाईखेड़ा तहसील माण्डल
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साo माण्डल तहसील- माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 07-05-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलाईखेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 10134/172 कुल किता 01 रकबा 0.1076 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 28-3-24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जो काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बलाईखेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 10134/172 कुल किता 01 रकबा 0.1076 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मे मौके व कब्जो की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.05.09 10:55:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल